हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
वकील अपीलार्थी व वकील रेस्पो० 1,3,4,5,6,8 उप० बहस अन्तिम पक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय सुनाने हेतु दिनांक 20/4/18 को। (पंकज कुमार औझा) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	
[illegible]5/18 पत्रावली वास्ते निर्णय सुनाने हेतु पेश हुई। अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान दिनांक 14/5/18 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होवे। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली बाद निर्णय फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे। [illegible] (पंकज कुमार औझा) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

[अपील] संख्या : 17/211

रामदयाल दत्तक पुत्र जगन्नाथ जाति कुम्हार निवासी ग्राम खेडली काल्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।

--अपीलान्ट

बनाम

1. नरेन्द्र कुमार आत्मज मोडू लाल तथाकथित पुत्र जगन्नाथ जाति कुम्हार निवासी ग्राम खेडली काल्या तहसील दीगोद ।
2. रामलाल आत्मज श्रवण लाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम खेडली काल्या तहसील दीगोद।
3. चौथमल आत्मज श्री किशन जाति कम्हार निवासी ग्राम खेडली काल्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. गोपाल आत्मज श्री किशन जाति कुम्हार निवासी कुन्हाडी पेट्रोलपम्प के सामने कोटा।
5. लक्ष्मीनारायण आत्मज श्री किशन जाति कुम्हार निवासी खेडली काल्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।
6. मोडूलाल आत्मज बिरधा जी जाति कुम्हार ।
7. मदन लाल आत्मज बिरधा जी जाति कुम्हार ।
8. छीता बाई पुत्री बिरधा जी जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम खेडली काल्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।
9. मंजू बाई जीवन संगनि गोविन्द प्रसाद जी जाति गुर्जर निवासी ग्राम छीपडदा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा ।

--रेस्पोडेन्ट

अपील संख्या : 17/219

रामदयाल दत्तक पुत्र जगन्नाथ जाति कुम्हार निवासी ग्राम खेडली काल्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।

--अपीलान्ट

बनाम

1. नरेन्द्र कुमार आत्मज मोडू लाल तथाकथित पुत्र जगन्नाथ जाति कुम्हार निवासी ग्राम खेडली काल्या तहसील दीगोद ।
2. रामलाल आत्मज श्रवण लाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम खेडली काल्या तहसील दीगोद।
3. चौथमल आत्मज श्री किशन जाति कम्हार निवासी ग्राम खेडली काल्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. गोपाल आत्मज श्री किशन जाति कुम्हार निवासी कुन्हाडी पेट्रोलपम्प के सामने कोटा।

लक्ष्मीनारायण आत्मज श्री किशन जाति कुम्हार निवासी खेडली काल्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।

6. मोडूलाल आत्मज बिरधा जी जाति कुम्हार ।
7. मदन लाल आत्मज बिरधा जी जाति कुम्हार ।
8. छीता बाई पुत्री बिरधा जी जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम खेडली काल्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।
9. मंजू बाई जीवन संगनि गोविन्द प्रसाद जी जाति गुर्जर निवासी ग्राम छीपडदा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा ।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री ओमप्रकाश नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 3 से 5 की ओर से ।
3. श्री संजय शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1, 6 एवं 8 की ओर से ।

निर्णय **दिनांकः 20.02.2018**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 27.06.2016 एवं अंतिम डिकी दिनांक 25.01.2017 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद जिला कोटा के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने से एक अपील प्राथमिक डिकी की होने से तथा दूसरी अपील अंतिम डिकी की होने से उक्त दोनों अपीलों का निस्तारण इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय अलग–अलग पत्रावली में संलग्न किया जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम खेडली काल्या तहसील दीगोद की खात नम्बर 54 की कुल 17 किता की कुल रकबा 6.47 हैक्टर आराजी के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी कम 1 से 3 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी कम 4 से 6 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी कम 7 का 1/3 हिस्सा दर्ज है। प्रतिवादी कम 1, 2 व 3 ने निम्न भूमि के 1/3 स्सिे की भूमि को प्रतिवादी कम 8 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र से बेचान कर दी जिसका इंतकाल खुल कर प्रतिवादी कम 8 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है कुल 05 किता की 1.42 हैक्टर भूमि है । इसी प्रकार अन्य भूमियों का बेचान किया जा चुका है ।

4. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीण के विरूद्ध इस आशय की डिकी पारित की जावे कि वादपत्र की मदन नं0 05 व 6 में अंकित भूमि ग्राम खेडली परसराम तहसील दीगोद की आराजी खसरा नम्बर 98 की रकबा 0.42 हैक्टर, खससरा नम्बर 99 की रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 100 की रकबा 0.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 171 की रकबा 0.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 216 की रकबा 1.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 217 की रकबा 1.45 हैक्टर कुल 06 किता की 3.94 हैक्टर भूमि में से नामान्तरकरण

संख्या 261 के आधार पर खातेदार प्रतिवादी क्रम 4 के 1/9 हिस्से का एवं नामान्तकरण संख्या ... के आधार पर खातेदार प्रतिवादी क्रम 1, 2 व 3 के 1/3 में से 1/3 यानि 1/9 हिस्से का यानी कुल 2/9 हिस्से की भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावे उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जावे । वादपत्र की मद संख्या 5 व 6 में अंकित भूमि ग्राम खेडली परसराम तहसल दीगोद की आराजी खसरा नम्बर 98 की रकबा 0.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 99 की रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 0.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 216 की रकबा 1.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 217 की रकबा 1.45 हैक्टर कुल 06 किता की 3.94 हैक्टर भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 से 7 के मध्य विभाजन किया जाकर वादी के 2/9 हिस्से की भूमि को वादी के अलग खाते दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त की आराजी में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 27.06.2016 के द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित कर दी । उक्त प्राथमिक डिक्री के आधार पर दिनांक 25.01.2017 के द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन की अंतिम डिक्री पारित कर दी ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.06.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25.01.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में उक्त दोनों अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

7. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी मृतक जगन्नाथ जी का वारिस है उसका उक्त भूमि के सम्बन्ध में घोषणा का वाद विचाराधीन है । प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से प्रभावित है, न्यायहित में प्रार्थी को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करना आवश्यक है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

8. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एंव उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट मृतक जगन्नाथ का पुत्र है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से उसके हित प्रभावित हुए हैं । अतः न्यायहित में हम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

9. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना ही उक्त निर्णय पारित किया है जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 13.04.2017 को नकल प्राप्त करने पर हल्का पटवारी के कहने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र दस्तावेज रिकॉर्ड पर लिये जाने बाबत् पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया और उक्त निर्णय अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया है । अपीलान्ट कुछ दस्तावेज पेश करना चाहता है उक्त दस्तावेज प्रस्तुत प्रकरण के निस्तारण हेतु आवश्यक दस्तावेज है जिन्हें न्यायहित में रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश पारित किया जावे ।

12. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि मृतक जगन्नाथ जी की कृषि भूमि को लेकर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में वाद संख्या 90/2002 विचाराधीन है जिसमें वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया हुआ है। अपीलान्ट जगन्नाथ जी का गोदपुत्र है तथा जगन्नाथ जी के स्वर्गवास के पश्चात् उसकी आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट आवश्यक पक्षकार है । अधीनस्थ न्यायालय ने लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स के नियम 18 सये 21 की पालना किये बिना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.06.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25.01.2017 निरस्त फरमाई जावें ।

13. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने जो दस्तावेज रिकॉर्ड पर लिये जाने हेतु पेश किये हैं के रिपिटल में रेस्पोडेन्ट दस्तावेज पेश कर रहा है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार अथवा खातेदार नहीं है इसलिए उसे पक्षकार नही बनाया । प्रस्तुत प्रकरण में दावा अन्तर्गत धारा 53 एवं 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से सम्बन्धि था । यदि अपीलान्ट को वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में कोई वाद प्रस्तुत कर रखा है तो पहले उसका निर्णय हो उसके बाद ही अपीलान्ट धारा 53 के वाद में पक्षकार बन सकता है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट मृतक जगन्नाथ का गोदपुत्र बनकर आया है । अपीलान्ट उक्त वाद में अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर पक्षकार बन सकता था परन्तु इस स्तर पर अपील प्रस्तुत करने का अधिकार अपीलान्ट को नहीं है । प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्टगण ने रजिस्टर्ड गोदनामा पेश किया है तथा पूर्व की वसीयत को निरस्त भी किया हुआ है । अपीलान्ट रामदयाल ने सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत था जिसे माननीय सिविल न्यायालय द्वारा वर्ष 2007 में खारिज कर दिया । वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने गोदनामा पेश किया है जब तक उक्त गोदनामा निरस्त नहीं हो जाता तब तक उक्त भूमि से रेस्पोडेन्ट क्रम 1 का नाम नहीं हटाया जा सकता । प्रस्तुत प्रकरण में दूसरे अन्य सहखातेदारों की सहमति से उक्त प्रकरण में पक्षकारान के मध्य विभाजन हुआ है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है क्योंकि वह वादग्रस्त आराजी का सहखातेदार अथवा खातेदार नहीं है । प्रकरण में पक्षकारान ने आपसी सहमति के आधार पर उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित करवाई है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.06.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25.01.2017 बहाल रखी जावें।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस मनन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। उक्त प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट द्वारा विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

15. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने स्वयं को आवश्यक पक्षकार होना बताया है जिसे न्यायालय हाजा ने स्वीकार किया है और उसके द्वारा वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में एक अन्य वाद प्रस्तुत किया हुआ है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ कुछ दस्तावेजात भी प्रस्तुत किये हैं जिनका निर्णय साक्ष्य एवं दस्तावेज से होना है जिन्हें हम रिकॉर्ड पर लिया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान की साक्ष्य एवं दस्तावेज के साथ निर्णित किये जाने हेतु हम प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

16. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट का कितना स्वत्व अधिकार है या नहीं यह विचारण न्यायालय में साक्ष्य एवं दस्तावेज के आधार पर निर्णित होना है । ऐसी स्थिति में हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 17/211 एवं 17/219 दोनों आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.06.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25.01.2017 निरस्त फरमाई जाती है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुतिच अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे । पक्षकारान दिनांक 12.04.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों।

18. निर्णय आज दिनांक 20.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा